

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरु (राज.)

ग्रामीण सेवा शिविर 2025

राजस्व प्रार्थना-पत्र संख्या : 168 / 2025
निर्णय दिनांक : 17.09.2025
जीसीएमएस संख्या- 2025 / 322
दायर दिनांक - 17.09.2025

लुणाराम बनाम राजस्थान सरकार
-:निर्णय:-

ग्रामीण सेवा शिविर 2025 के दौरान यह प्रार्थना-पत्र भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थी लुणाराम पुत्र जालुराम निवासी गुलेरिया द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र की पत्रावली प्रस्तुत हुई।

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि राजस्व रिकॉर्ड में रोही ग्राम गुलेरिया की जमाबन्दी संवत् 2076-2079 के खाता संख्या 232 में प्रार्थी का नाम लुणाराम पुत्र जालुराम मेहतर दर्ज है। जो गलत है। प्रार्थी का सही नाम आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों के अनुसार लुणाराम पुत्र जालुराम नायक अंकित है। प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्त किये जाने का आदेश फरमावें।


प्रार्थना पत्र के साथ शिविर प्रभारी/ तहसीलदार सुजानगढ़ की रिपोर्ट का अंकन है। तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उपर्युक्त वर्णित राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम लुणाराम पुत्र जालुराम मेहतर दर्ज है। जो गलत है। संलग्न दस्तावेजात, पटवारी, भू.अ. नि. की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का नाम लुणाराम पुत्र जालुराम नायक है इसी प्रकार राजस्व रिकॉर्ड में शुद्ध किया जाना उचित है।

प्रार्थना-पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र, दस्तावेजात ,आधार कार्ड की प्रति एवं तहसीलदार सुजानगढ़ की अभिशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में जिला चूरु तहसील सुजानगढ़ की संवत् 2076-2079 के राजस्व रिकॉर्ड की प्रविष्टि में निम्नानुसार रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं-

क्रं. स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	गुलेरिया	232	लुणाराम पुत्र जालुराम मेहतर	लुणाराम पुत्र जालुराम नायक


अन्य सभी प्रविष्टि तथा रहन (यदि हो तो) की प्रविष्टि यथावत रहेगी। निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व सुजानगढ़ को भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्व जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.09.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(अमिकाश वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़ (चूरु)
दिनांक 17.09.2025

क्रमांक - रीडर/2025/

1. तहसीलदार सुजानगढ़ को नियमानुसार पालनार्थ प्रेषित है।


उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़ (चूरु)